संख्या- 33 /2018/ 1074 /अइतीस-5-2018-27 बजट/2017टी0सी0-।।।

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-83)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 1287/ डब्लू -409 Corraespondence (iv) / 2017-18, दिनांक 19 मार्च, 2018 एवं अनु सचिव (पेयजल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या- डब्लू क्यू0-11021/8/2017/डब्लू क्यू, दिनांक 09 मार्च, 2018, के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त नेशनल वाटर क्वालिटी सबमिशन के मद में प्राप्त कुल केन्द्रांश रू0 847.26 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारतसरकार से प्राप्त केन्द्राश की सम्पूर्ण् धनराशि रू0 847.26 लाख (रूपये आठ करोड. सैतालीस लाख छब्बीस हजार मात्र) निर्गत की जा चुकी है। प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुमन्य राज्यांश रू0 125.33 लाख (रूपये एक करोड. पच्चीस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान संख्या	पेयजल कार्यक्रम के घटक	भा./स. से प्राप्त केन्द्रांश	अनुमन्य केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश	भा./स. से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य कुल राज्यांश	स्वीकृत राज्यांश की धनराशि
1	2	3	4	5	6
83	नेशनल वाटर क्वालिटी सबमिशन	125.33	125.33	125.33	125.33
	योग रू0	125.33	125.33	125.33	125.33

(रूपये एक करोड. पच्चीस लाख तैतीस हजार मात्र)

(I) **धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।**

(II) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा। धनराशि आहरित कर जिस खाते में जमा की जाएगी उस खाते में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व ग्राम्य विकास विभाग/ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(III) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा उसका व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(IV) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे निर्धारित् लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के निर्धारित घटक हेतु निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों/ मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

(VI) प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार के स्वीकृति आदेश दिनांक 18 जनवरी, 2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03-08-2017 एवं तत्क्रम में निर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-12/2017 बी-1-1455/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 20-11-2017 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(VII) स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्यों के सेन्टेज चार्ज का भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-23/दस-2011-17 (4)/ 75, दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/ दस-2014-17(4)/ 75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी वित्तीय दिशा-निर्देशों के अनुसार अवमुक्त किये जा रहे राज्यांश से किया जाएगा। सेन्टेज का पृथक से भुगतान नहीं किया जाएगा।

(VIII) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा। वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि पूर्व में प्रश्नगत धनराशि या इसका कोई अंश अवमुक्त नहीं किया गया है। वित्तीय सलाहकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल सूचित किया जाय।

(IX) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन / भारत सरकार तथा महालेखाकार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

2- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0 डी0डब्लू0पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.ई-2-423/दस-2018 दिनांक 29 मार्च, 2018 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

संख्याः 33 /2018/ 1074 (1)/अड़तीस-5-2018-27 बजट/2017, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अनु सचिव (वाटर), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, चतुर्थ तल पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली को उनके स्वीकृति आदेश आदेश संख्या- डब्लू क्यू0-11021/8/2017/डब्लू क्यू, दिनांक 09 मार्च, 2018, के क्रम में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
(8) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(10) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11)गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।